उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0–870–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–14–ज0श0 (08)/2007 दिनाँक 12.09.2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/
केस्को, कानपुर।

विषय : मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं/अवमानना वादों एवं उनमें प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने/लम्बित होने तथा मा0 न्यायलयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन/अपील सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन/कारपोरेशन स्तर पर मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं/अवमानना वादों एवं उनमें प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने/लम्बित होने तथा मा0 न्यायलयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन/अपील सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

2. उक्त समीक्षा बैठकों में विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मा0 न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित कारपोरेशन एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को से प्राप्त सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करते हैं। यह देखा गया है कि उपरोक्त विषयक प्राप्त सूचनायें प्रायः पूर्ण नहीं होती हैं जिससे शासन/कारपोरेशन स्तर की बैठकों में अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेशन एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को के मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विधि अधिकारी द्वारा किये जाने की आवश्यकता कारपोरेशन स्तर पर समझी गयी है जो वितरण निगमों एवं केस्को में तैनात विधि संवर्ग के अधिकारियों (उप विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी) के साथ मा0 न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे।

4. सम्बन्धित वितरण निगम के विधि संवर्ग के अधिकारी (उप विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी) मा0 न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं/अवमानना वादों एवं उनमें प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने/लम्बित होने तथा मा0 न्यायलयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन/अपील सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की प्रगति से प्रत्येक शुक्रवार को विधि अधिकारी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अवगत करायेंगे।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विधि संवर्ग के अधिकारियों (उप विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी) को निर्देशित कर दें कि वे विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग करें तथा मा0 न्यायालयों के प्रकरणों की प्रगति को प्रत्येक शुक्रवार को विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः.......02

संख्या–870 (i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/ प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/ द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/ म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/केस्को कानपुर।
7. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, SLDC परिसर, निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/लेखा प्रशासन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)